

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
919/2024

दायर दिनांक
19.12.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
21.6.2025

1. श्री बट्टी पुत्र श्री धन्ना जाट निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
2. श्री सावंरमल पुत्र श्री धन्नालाल जाट निवासी सालरा तह. व जिला भीलवाड़ा राज.
3. श्री दिनेश पुत्र नन्दराम जाट निवासी सालरा तह. व जिला भीलवाड़ा राज.
4. सुश्री लक्ष्मी पुत्री नन्दराम जाट निवासी सालरा तह. व जिला भीलवाड़ा राज.
5. श्रीमती विमला पुत्री नन्दराम जाट निवासी सालरा तह. व जिला भीलवाड़ा राज.

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री दिनेश पुत्र श्री हीरा जाट निवासी सालारा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
2. श्री काना पुत्र श्री बालु जाट उम्र वयस्क निवासी सालय तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
3. श्रीमती कमला पुत्री हजारी बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
4. श्री जमना लाल पुत्र श्री लादू बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
5. श्री देबी पुत्र भवाना चमार उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
6. श्रीमती नंदीया पुत्री लादू बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
7. श्री नारायण लाल पुत्र श्री लादू बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
8. श्री मूलचन्द पुत्र हजारी बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
9. श्री मोहन पुत्र श्री भैरू चमार उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
10. श्रीमती रुकमणी पुत्री हजारी बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
11. श्रीमती लादी देवी पत्नि श्री लादू बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
12. श्री श्रवण पुत्र श्री भवाना बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

13. श्रीमती सांवरी पुत्री श्री लादू बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालय तहसील व जिला भीलवाड़ा राज।
14. श्रीमती हरकू पत्नि श्री मोतीलाल बलाई उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज।
15. श्री बट्टी पुत्र श्री हीरा बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री रामजस माली
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का— सांगानेर, भू.अ.नि. क्षेत्र—सांगानेर, तहसील व जिला—भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2073 तक में दर्ज खाता संख्या नया 217 पुराना 221 में वर्णित आराजी संख्या 2640 रकबा 2.0611 हेक्टेयर आराजी संख्या 2640/1 रकबा 0.0126 कुल किता 02 रकबा 2.0737 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

54
मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का- सांगानेर, भू.अ.नि. क्षेत्र-सांगानेर, तहसील व जिला-भीलवाडा के वर्तमान जमाबन्दी सम्बत् 2069 से 2073 तक में दर्ज खाता संख्या नया 217 पुराना 221 में वर्णित आराजी संख्या 2640 रकबा 2.0611 हैक्टेयर आराजी संख्या 2640/1 रकबा 0.0126 कुल कित्ता 02 रकबा 2.0737 हैक्टेयर भूमि स्थित है। भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर. नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02-06-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दियारास पंडित अधिकारी)

उपख भीलवाडा कारी

भीलवाडा